

## हाथ से मैला ढोने की प्रथा (मैनुअल स्कैवेंजिंग)

### प्रलिस के लयि:

मैला ढोने की समसुा से नपिटने हेतु पहल, स्वच्छ भारत मशिन

### मेनुस के लयि:

मैनुअल स्कैवेंजिंग का खतरा, अनुसूचति जाति, अनुसूचति जनजातसे संबंघति मुददे

## चरचा में क्यौं?

हाल ही में सामाजकि न्याय और अधकिारति मंत्रालय (MoSJE) ने लोकसभा को बताया कविगित तीन वर्षौं (वर्ष 2019 से 2022) में मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण कसिी भी वुक्ता की मृतु नहीं हुई है।

- इस अवघि में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय "दुर्घटनाओं" में 233 लौगों की मृतु हुई है।

## हाथ से मैला ढोने की प्रथा/मैनुअल स्कैवेंजिंग (Manual Scavenging):

- हाथ से मैला ढोने की प्रथा को "कसिी सुरक्षा साधन के बनिा और नगन हाथों से सार्वजनकि सडकों एवं सूखे शौचालयों से मानव मल को हटाने, सेप्टिक टैंक, गटर एवं सीवर की सफाई करने" के रूप में परभाषति कथिा गया है।
- भारत ने मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का नषिध और उनका पुनरवास अधनियम, 2013 (PEMSR) के तहत इस प्रथा पर प्रतबिंध लगा दथिा है।
  - यह अधनियम कसिी भी वुक्ता द्वारा मानव मल को उसके नपिटान तक मैनुअल रूप से साफ करने, ले जाने, नपिटाने या अन्यथा कसिी भी तरीके से हैंडलिंग पर प्रतबिंध लगाता है।
  - अधनियम हाथ से मैला ढोने की प्रथा को "अमानवीय प्रथा" के रूप में परभाषति करता है।

## हाथ से मैला ढोने की प्रथा के प्रचलन के कारण:

- उदासीन रवैया:**
  - कई स्वतंत्र सर्वेक्षणों ने राज्य सरकारों की ओर से यह स्वीकार करने में नरितर अनचिछा के बारे में बात की है कथिह प्रथा उनकी नगिरानी में प्रचलति है।
- आउटसोर्सिंग के कारण समसुाएँ:**
  - कई बार स्थानीय नकिय नजिी ठेकेदारों को सीवर सफाई कार्य आउटसोर्स करते हैं। हालाँकि उनमें से कई फ्लाई-बाय-नाइट ऑपरेटर, सफाई कर्मचारियों के उचति रोल का रखरखाव नहीं करते हैं।
  - श्रमकों की दम घुटने से मृतु होने के मामले में इन ठेकेदारों ने मृतक के साथ कसिी भी संबंघ से इनकार कथिा है।
- सामाजकि मुददा:**
  - यह प्रथा जाति, वर्ग और आय की असमानता आद से प्रेरति है।
  - मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा भारत की जाति वुवस्था से जुडी हुई है, जहाँ तथाकथति नचिली जातियों से ही इस काम को करने की उम्मीद की जाती है।
  - 1993 में, भारत ने मैला ढोने वालों के रूप में लौगों के रोजगार पर प्रतबिंध लगा दथिा (हाथ से मैला उठाने वाले कर्मयिों का रोजगार और शुषक शौचालयों का नरिमाण (नषिध) अधनियम, 1993), हालाँकि, इससे जुडा कलंक और भेदभाव अभी भी बना हुआ है।
    - यह सामाजकि भेदभाव मैनुअल स्कैवेंजिंग को छोड़ चुके श्रमकों के लयि आजीविका के नए या वैकल्पकि माध्यम प्राप्त करना कठनि बना देता है।

## मैला ढोने की समसुा से नपिटने के लयि उठाए गए कदम:

- **'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नयोजन का प्रतिबंध और उनका पुनर्वास (संशोधन) अधिनियम, 2020'**
- यह सीवर की सफाई को पूरी तरह से मशीनीकृत करने, 'ऑन-साइट' सुरक्षा के तरीके अपनाने और सीवर में होने वाली मौतों के मामले में कर्मियों के परिवार वालों को मुआवजा प्रदान करने का प्रस्ताव करता है।
  - यह हाथ से मैला ढोने वालों के रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 में संशोधन होगा।
  - इसे अभी कैबिनेट की मंजूरी मलिना शेष है।
- **असवच्छ शौचालयों का निर्माण और रखरखाव अधिनियम 2013:**
  - यह असवच्छ शौचालयों के निर्माण या रखरखाव तथा कसिी को भी हाथ से मैला ढोने हेतु काम पर रखने के साथ-साथ सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई को गैरकानूनी घोषित करता है।
  - यह अन्याय और अपमान की कषतपूरतके रूप में हाथ से मैला ढोने वाले समुदायों को वैकल्पिक रोजगार तथा अन्य सहायता प्रदान करने के लिये एक संवैधानिक ज़मिमेदारी भी प्रदान करता है।
- **1989: अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989:**
  - वर्ष 1989 में **अत्याचार निवारण अधिनियम** स्वच्छता संबंधी कार्यकर्त्ताओं के लिये एक समन्वित गार्ड बन गया। इस दौरान मैला ढोने वालों के रूप में **कार्यरत 90% से अधिक लोग अनुसूचित जात के थे**। यह मैला ढोने वालों को निर्दषिट पारंपरिक व्यवसायों से मुक्त करने के लिये यह एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।
- **सफाई मतिर सुरक्षा चुनौती:**
  - इसे आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में **वशिव शौचालय दविस** (19 नवंबर) पर लॉन्च कया गया था।
  - सरकार द्वारा सभी राज्यों के लिये अप्रैल 2021 तक सीवर-सफाई को मशीनीकृत करने हेतु इसे एक 'चुनौती' के रूप में शुरू कया गया, इसके तहत यदा कसिी व्यक्त को अपरहार्य आपात स्थिति में सीवर लाइन में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है, तो उसे उचित गयिर और ऑक्सीजन टैंक आदि प्रदान कयि जाते हैं।
- **'स्वच्छता अभियान एप':**
  - इसे असवच्छ शौचालयों और हाथ से मैला ढोने वालों के डेटा की पहचान एवं जयिोटैग करने हेतु वकिसति कया गया है, ताक असवच्छ शौचालयों को सैनटिरी शौचालयों में बदला जा सके और सभी हाथ से मैला ढोने वालों को जीवन की गरमिा प्रदान करने हेतु उनका पुनर्वास कया जा सके।
- **यंतरीकृत स्वच्छता पारसिथतिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan for Mechanised Sanitation Ecosystem- NAMASTE/नमस्ते):**
  - NAMASTE योजना आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा MoSJ&E द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की जा रही है और इसका उद्देश्य असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को खतम करना है।
- **सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय:** वर्ष 2014 में **सर्वोच्च न्यायालय** के एक आदेश ने सरकार के लिये उन सभी लोगों की पहचान करना अनवार्य कर दया था, जो वर्ष 1993 से सीवेज के काम में मारे गए थे और प्रत्येक व्यक्त के परिवार को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए दयि जाने का भी आदेश दया गया था।

## आगे की राह:

- **स्वच्छ भारत मशिन** को **15वें वतित आयोग** द्वारा सर्वोच्च प्राथमकता वाले कषेत्र के रूप में पहचाना गया और स्मार्ट शहरों एवं शहरी वकिस के लिये उपलब्ध धन के साथ हाथ से मैला ढोने की समस्या का समाधान करने के लिये एक मज़बूत आधार प्रदान कया गया।
- हाथ से मैला ढोने के पीछे की सामाजिक स्वीकृति को संबोधित करने के लिये पहलेयह **स्वीकार करना और समझना आवश्यक है किकैसे और क्यो जातवियवस्था के कारण हाथ से मैला ढोना अभी भी जारी है**।
- राज्य एवं समाज को **इस मुद्दे पर सक्रयि रूप से रुचिलेने की ज़रूरत है और इस प्रथा का सही आकलन कर** इसके उन्मूलन के लिये सभी संभावित वकिल्पों पर गौर करने की ज़रूरत है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न: 'राष्ट्रीय गरमिा अभयान' एक राष्ट्रीय अभयान है, जसिका उद्देश्य है: (2016)

- बेघर एवं नरिशरति व्यक्तयों का पुनर्वास और उन्हें आजीविका के उपयुक्त स्रोत प्रदान करना।
- यौनकर्मियों को उनके अभ्यास से मुक्त करना और उन्हें आजीविका के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करना।
- हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खतम करना और हाथ से मैला ढोने वालों का पुनर्वास करना।
- बंधुआ मज़दूरों को मुक्त करना और उनका पुनर्वास करना।

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- राष्ट्रीय गरमिा अभयान वर्ष 2001 में शुरू कया गया, मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन और इस कार्य में संलग्न लोगों के लिये गरमिापूरण जीवन सुनशिचित करने हेतु यह एक राष्ट्रीय अभयान है।

अतः वकिल्प (c) सही है।

स्रोत: द हट्टि

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/manual-scavenging>

